न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियां जिला भीलवाड़ा (राज0)

बाईजलास श्री विकास पंचोली आ.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी

राजस्व प्रकरण संख्या (166/2009) 8/2010 तारीख 08/04/2010

मांगीलाल पिता गोरीलाल जाति धाकड़ उम्र वयस्क निवासी बेरीसाल तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.....वादी

बनाम

1. मोतीलाल पिता नाथु जाति माली :–
   1.1 जमना बाई पत्नि मोतीलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी मालीपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।
   1.2 गोपाल पिता मोतीलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी मालीपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)
   1.3 कालु पिता मोतीलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी मालीपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।
   1.4 सतु पिता मोतीलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी मालीपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।
   1.5 राकेश पिता मोतीलाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी मालीपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।
2. रामलाल पिता नाथु जाति माली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।
3. दुधा पिता नाथु जाति माली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।
4. चान्दमल पिता गोदु जाति माली उम्र वयस्क निवासी बिजौलियां तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।
5. शम्भुलाल पिता बालु जाति नाई उम्र वयस्क निवासी कल्याणपुरा तहसील बिजौलिया जिला भीलवाड़ा (राज0)।

.....प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित – श्री जगदीशचन्द्र धाकड़
.....अभि वादी
..... श्री गिरधारीलाल आचार्य
.....अभि प्रतिवादी

निर्णय

दिनांक 27.06.2019

वादपत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं वादीगण ने एक नियमित राजस्व वादपत्र अन्तर्गत **धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम** विरूद्ध प्रतिवादीगण इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम नयागांव पटवार हल्का जावदा में स्थित वादीगण के खातेदारी अधिकार की आराजी नम्बर 897 रकबा 0–07 बीघा किस्म बाड़ा, पूर्व खातेदार पोखर पिता भज्जा माली निवासी मालीपुरा के नाम पर खातेदारी हक से दर्ज रिकॉर्ड था तथा सम्वत् 2032 में उक्त आराजी में से 0–01 बीघा भूमि भवन एवं पथ निर्माण विभाग (पी.उब्ल्यू.डी.) के द्वारा सड़क निर्माण हेतु अवाप्त की जाकर खातेदार के नाम 0–06 बीघा भूमि खातेदारी हक से दर्ज रेकॉर्ड रही। उक्त आराजी में से आराजी नम्बर 897/1 रकबा 0–02 बीघा बिकाव से मोहनलाल प्रजापत के नाम पर दर्ज हो विरासत से उनके पुत्रो के नाम अंकित की गई। तद्नुउपरान्त विक्रय पत्र के द्वारा उक्त रकबा वादी के नाम दर्ज रेकॉर्ड किया गया जो अभी वर्तमान के राजस्व रेकॉर्ड में वादी के नाम आराजी नम्बर 897/1 रकबा 0–02 बीघा के नाम से दर्ज हैं। आराजी नम्बर 897 के शेष रकबा 0–04 बीघा में से रकबा 0–01 बीघा मोहनलाल प्रजापत के नाम जरिये विक्रय एवं जरिये विरासत मोहनलाल के पुत्रों के नाम दर्ज हो यह रकबा बिकाव से वादी मांगीलाल के नाम आराजी नम्बर 897/3 रकबा 0–01 दर्ज रेकॉर्ड हैं। इस प्रकार वादी आराजी नम्बर 897/1 रकबा 0–02 बीघा व 897/3 रकबा 0–01 कुल रकबा 0–03 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार हैं व शेष 0–03 बीघा भंवरलाल पिता पोखर माली के नाम दर्ज रेकॉर्ड हो खातेदारान उक्त रकबे पर काबिज हो उपयोग उपभाग करते चले आ रहे हैं। अन्य किसी व्यक्ति तथा प्रतिवादीगण का उक्त आराजीयात से कोई सम्बन्ध व वास्ता नही हैं। उक्त वर्णित आराजीयात के उत्तर दिशा में नला के माताजी जाने वाली पी.डब्ल्यू.डी. की सड़क व रोड़ बाउण्ड्रीके बाद वाली की उक्त आराजीयात स्थित हैं।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि.-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 02 पर

Scanned by CamScanner

जिसके मध्य किसी प्रकार की भूमि स्थित नहीं हैं। प्रतिवादीगण ने जबरन सड़क नला का माताजी के रोड़ बाउण्ड्री पर नाजायज कब्जा करना चाहकर उक्त वादी के आराजी नम्बर 897/1 रकबा 0–02 बीघा व 897/3 रकबा 0–01 कुल रकबा 0–03 बीघा भूमि पर रोड़ बाउण्ड्री के साथ जबरन कब्जा कर लेने के उद्देश्य से दिनांक 10.07.2019 को जबरन कब्जा करने का प्रयास किया और वादीके लगे डोल, बाउण्ड्रीवाल को जबरन नष्ट कर अनाधिकृत कब्जा करने का प्रयास किया। वादी ने प्रतिवादीगण को इन्कार किया और कब्जा नहीं करने दिया। दिनांक 11.07.2009 को प्रतिवादी नम्बर 05 ने अपने डम्पर व ट्रेक्टर से पत्थर जोटे, रोड बाउण्ड्री तथा वादी की उक्त आराजी के रकबे पर जबरन वादी की अनुपस्थिति में डाल दिये। वादी के इन्कार करने पर लड़ाई झगडे पर आमदा हुये और यह धमकी दी कि उक्त भू भाग पर प्रतिवादीगण जबरन कब्जा कर निर्माण कार्य करेंगे तथा वादी को बेदखल कर जबरन कब्जा करेंगे। प्रतिवादीगण के इस नाजायज हरकत से वादी के स्वामित्व की भूमि के प्रति खतरा उत्पन्न हो गया है कभी वादी को बेदखल कर प्रतिवादीगण जबरन कब्जा कर सकते है जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं है। वादी के इन्कार करने पर भी प्रतिवादीगण नहीं मान रहे है। इस कारण स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रतिवादीगण के विरूद्ध पेश करने के अलावा अन्य कोई उपचार वादी के पास शेष नहीं रहा हैं।

वादी ने वादपत्र में अनुतोष चाहा गया है कि **स्थाई निषेधाज्ञा** बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावें कि मौजा ग्राम नयागांव पटवार हल्का जावदा में स्थित आराजी नम्बर 897/1 रकबा 0–02 बीघा व 897/3 रकबा 0–01 कुल रकबा 0–03 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण किसी प्रकार जबरन कब्जा नहीं करें। किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने हेतु सामग्री नहीं डाले, निर्माण कार्य नहीं करें व वादी को उक्त आराजी से बेदखल नहीं कर जबरन स्वयं कब्जा नहीं करें तथा वादी को उक्त आराजी पर शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवे। इसमें किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावें। वादपत्र वादीगण डिक्री फरमाया जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर करवाया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये समन मय नकल वादपत्र भेज करवाई गई ।

प्रकरण में प्रतिवादीगण 1 से 5 की ओर से श्री गिरधारीलाल आचार्य ने अधिकार मय जवाबदावा प्रस्तुत कर उपस्थिति दी।

प्रतिवादी ने जवाब में वाद की स्थिति को स्पष्ट करते हुए अंकित किया कि आराजी नम्बर 297 के उतरी दिशा मे आराजी नम्बर 898 किस्म आबादी स्थित हैं उसके उतर दिशा में बिजौलियां नला का माताजी से कोटा रोड स्थित हैं। 897 के पूर्वी दिशा में आराजी नम्बर 896 व पश्चिमी दिशा में आराजी नम्बर 898 आबादी भूमि व दक्षिण दिशा में आराजी नम्बर 900 स्थित हैं। प्रतिवादी नं0 5 के द्वारा तय किया गया भूखण्ड आराजी नम्बर 898 किस्म भूमि आबादी में स्थित हैं। उक्त भूखण्ड के दक्षिण दिशा में वादी की वादग्रस्त सम्पति स्थित हैं। नला का माताजी कोटा आराजी नम्बर 898 आबादी क्षैत्र में होकर नही निकलता हैं। प्रतिवादी नं0 5 की क्रय शुदा सम्पति के पश्चिमी दिशा में व्यवसायिक दुकाने लगी हुयी हैं। उतर दिशा में नला का माताजी डाबी कोटा रोड व पूर्वी दिशा में पड़त भूमि स्थित हैं। कौनसे साल संवत में पोखर पिता भज्जा माली से मोहनलाल प्रजापत ने क्रय की इसको सिद्ध कराने का भार वादी पर हैं। वादी द्वारा क्रय की गई भूमि अथवा पीडब्ल्यूडी द्वारा अवाप्त करवायी गई भूमि को जरिये तरमीम के नक्शे में दर्शाया हुआ नही हैं। वादी को अपनी स्वेच्छा से कई भी अपनी भूमि दर्शाने का अधिकार नहीं हैं वादी को अपनी खातेदारी में अभिलिखित सम्पति को तरमीम करवाने के पश्चात ही वाद लाना चाहिए। नक्शा ट्रेस के परिपेक्ष्य में वादी के कब्जे वाली भूमि की स्थिति स्पष्ट नही हैं। कुलिया आराजी नम्बर 897 में पीडब्ल्यूडी की अवाप्ति भूमि के स्थान पर हैं व आराजी नम्बर 897/1 – 897/2 व 897/3 किस स्थान पर तरमीम हैं। उनमें से वादी की खातेदारी में अभिलिखित आराजी नम्बर कहां पर हैं आराजी खं.नं. 897 का जो 3 बिस्वां रकबा शेष होकर मूल खातेदार के पुत्र भंवरलाल के नाम पर दर्ज हैं। उसका कब्जा कहां पर हैं। आराजी नम्बर 897 से प्रतिवादी नम्बर 5 एवं पट्टेधारी गोदू पिता नाथू माली के वारिसान का कोई सम्बन्ध नही हैं। प्रतिवादी नं0 5 द्वारा आवासीय पट्टे की भूमि क्रय की गयी उसके दक्षिण में आराजी नम्बर 897 नम्बर की भूमि स्थित हैं। प्रतिवादी नम्बर 5 की क्रय शुदा आवासीय सम्पति के पश्चिमी में मुकेश लाकड के निर्माण दुकाने, पूर्व में पडत भूमि पंचायत, उतर नला का माताजी डाबी कोटा रोड़, दक्षिण में मांगीलाल वादी की सम्पति दर्शायी हुयी हैं। वादी की खातेदारी भूमि व नला का माताजी डाबी कोटा रोड के बीच आबादी भूमि आराजी नम्बर 898 स्थित हैं जिसमें पंचायत थडोदा द्वारा पटटेधारियों ने अपनी पटटे वाली सम्पति में दुकाने व मकान बना रखे हैं। आराजी नम्बर 897 कितनी किसको विक्रय की गई शेष किसके पास रही हैं। यह वादी को सिद्ध करनी हैं।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा

लगातार पेज संख्या 03 पर

Scanned by CamScanner

यह भी स्वीकार नही हैं वादी की भूमि सीधी नला का माताजी डाबी कोटा पंचायत से जुडी भूमि नहीं होकर बीच में पंचायत आबादी क्षैत्र की भूमि आराजी नम्बर 898 स्थित हैं। उसी आराजी क्षैत्र की भूमि पंचायत ने आराजी नं0 898 में 36–37 वर्ष पूर्व गोदू माली को पटटा जारी किया हैं वादी केल इस आधार पर अपने को सड़क से सटा हुआ बता कर आया हैं कि पीडब्ल्यूडी ने आराजी नम्बर 897 में 0–01 बीघा भूमि अवाप्त करवायी किन्तु यह आवश्यक नही हैं कि अवाप्त की गयी भूमि सड़क के लिए अवाप्त की गयी हो । पीडब्ल्यूडी की सड़क गोदू माली को दिये गये पट्टे के बाद निकली हैं। नला का माताजी डाबी कोटा रोड वर्ष 1981–82 के आस पास बनी। पक्की सड़क वर्ष 1990 में बनी। इस प्रकार वादी अनुचित वारिसों के अपनी सम्पति में सीधे सड़क से जोड़ना चाहता हैं। इसलिए गलत तथ्यों पर प्रकरण प्रस्तुत किया हैं। जबकि वादी का सड़क से सटा हुआ कोई कब्जा नहीं हैं। न ही प्रतिवादी नं. 5 किसी रोड बाउण्डी पर कब्जा कर अपना निर्माण करवाना चाह रहा हैं। वादी को वाद लाने का अधिकार नही हैं। न ही इस प्रकार से तथ्यों पर वाद राजस्व न्यायालय के समायत योग्य क्षैत्राधिकार का हैं। आ0न0 897/1 अथवा 897/3 के किसी भाग पर प्रतिवादीगण कोई कब्जा नहीं कर रहें। पट्टेधारी की जब वर्ष 1973 से कब्जा था। उसी स्थान पर अपने द्वारा क्रय की गई भूमि पर प्रतिवादी नं0 5 ने कब्जा किसका रहा। प्रतिवादी 5 को कब्जे वाली आराजीयात सम्पति के बाद निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही हैं। वादी को किसी प्रकार की बिनाय उत्पन्न नहीं हुई हैं। वादी द्वारा रोड़ बाउण्डी के अतिक्रमण होना बता कर वाद लाया गया हं। जिस बाबत् राजस्व न्यायालय को प्रकरण के समाप्त किये जाने की अधिकारिता प्राप्त नही हैं। वादी की खातेदारी में अभिलिखित भूमि भी कृषि भूमि होकर बाड़ा हैं। इसलिए वादी की सम्पति राजस्व न्यायालय के समाप्त योग्य क्षैत्राधिकार का विवाद नहीं हैं। वादपत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

वादी ने एक प्रार्थनापत्र दिनांक 26.06.75 को प्रस्तुत कर प्रतिवादी सं0 1 मोतीलाल के फोत हो जाने से उसके वारीसान को पक्षकार बनाया गया हैं। जो स्वीकार किया गया।

वादी ने वादपत्र के साथ निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कियें।

1. फोटोप्रति जमाबन्दी वर्तमान आराजी नम्बर 897/1, 897/3
2. फोटोप्रति जमाबन्दी सं. 2061–2064 आराजी नम्बर 897
3. फोटोप्रति जमाबन्दी सं. 2061–2064 आराजी नम्बर 897/1
4. प्रमाणित फोटोप्रति जमाबन्दी सं. 2032
5. प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबन्दी वर्तमान
6. जमाबन्दी सं. 2061–2064
7. जमाबन्दी सं. 2061–2064
8. निर्णय दिनांक 30.04.2010 न्यायालय अपर जिला कलक्टर महोदय भीलवाड़ा प्र0 सं0 47/2009
9. फोटो प्रति पर्चा मौका 19.10.2010

प्रतिवादी के दस्तावेज 1 से 3 सूची अनुसार प्रस्तुत किये हैं।

1. प्रमाणित प्रति पट्टा दिनांक 04.04.1973
2. विक्रय पत्र दिनांक 17.07.2009
3. प्रकरण प्रति नजरी नक्शा दिनांक 06.07.2009

प्रतिवादी ने प्रा.पत्र ओडर 8 सीपीसी मय दस्तावेज के प्रस्तुत की गयी। स्वीकार किया जाकर दस्तावेज को रिकॉर्ड पर लिये गये।

वादपत्र व जवाब के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गयी।

उपखण्ड अधिकारी
बिजोलियाँ जि.-भीलवाड़ा

1. <u>तनकी नं0 1</u> आया वादी वादग्रस्त आराजी नम्बर 879/1 व 897/3 कुल किता 2 रकबा 3 बिस्वां भूमि वादी की खातेदारी भूमि होकर प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध, वास्ता नही होने से उनके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं ?
2. <u>तनकी नं0 2</u> आया प्रतिवादीगण को आ0नं0 898 में 1973 में पट्टा जारी किया गया हैं जिसको प्रतिवादी नम्बर 5 ने क्रय य किया है, जिसका वाद पर क्या असर होगा ?

शहादत वादी में पीडब्ल्यू 1 मांगीलाल पिता गोरीलाल धाकड़ निवासी बेरीसाल ने अपने बयान में लिखाया कि मेरी जमीन ग्राम नयागांव में 3 बिस्वां स्थित हैं। जिसके आराजी नम्बर 897/1 रकबा 2 बिस्वां व 897/3 रकबा 1 बिस्वां हैं जो मेरे ही उपयोग उपभोग में चली आ रही हैं। इस जमीन को रहन विक्रय व स्थानान्तरण नही किया हैं न ही किसी का इस जमीन से

लगातार पेज संख्या 04 पर

Scanned by CamScanner

सम्बन्ध/वास्ता हैं। इस जमीन के उतर दिशा में नला का माताजी जाने वाला रोड़ हैं व रोड़ बाउण्ड्री, इसके पश्चात दक्षिण दिशा में मेरी जमीन हैं। प्रतिवादीगण ने मेरी जमीन के उत्तर दिशा में अतिक्रमण करने की कोशिश की तथा उन्हे मेरे द्वारा रोका गया प्रतिवादीगण की उस जगह पर हक व अधिकार नही हैं प्रतिवादीगण ने फर्जी पट्टा फिट करवाना चाहते थे उक्त पट्टे की निगरानी एडीएम कोर्ट भीलवाड़ा में प्रस्तुत की जिसमें एडीएम सा. द्वारा पट्टा खारीज कर दिया तथा मैने निर्णय की प्रति पेश की जो प्रदर्श–1 हैं मैने राजस्व रेकॉर्ड जमाबन्दी संवत 2065 से 2068 की पेश की जो प्रदर्श–2 हैं मैने जमाबन्दी संवत 2061 से 2064 पेश की जो प्रदर्श 3 व 4 हैं। मैने जमाबन्दी संवत 2032 की पेश की जो प्रदर्श–5 हैं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निषेधाज्ञा जारी की जावे कि मेरी खातेदारी भूमि पर किसी प्रकार की दखलअन्दाजी नहीं करे तथा न ही अन्य से करावें।

जिरह में लिखाया कि मेरे द्वारा क्रय की गयी आ0न0 897/1 व 897/3 की तरमीम नक्शे में हो रही हैं। मेने नक्शा पत्रावली में पेश नही किया हैं। नला का माताजी वाला रोड़ निकले हुये करीब 20–25 साल हो गये हैं। उस समय जमीन 897 में से 1 बिस्वां भूमि रोड़ हेतु अवाप्त कि गयी जिसके बाद में क्रय की गयी आबादी भूमि के बारे में मेरे को जानकारी नही है। शम्भुलाल सेन ने जो जमीन खरीदी उसके पश्चिमी में दुकाने बनी हुयी हो तो मेरी जानकारी में नही हैं। गोदू माली को आबादी भूमि 898 में 38–39 साल पहले पटटा जारी हुआ हो तो मेरे को जानकारी नही हैं। गोदू के वारिसान से प्रतिवादी संख्या 5 ने सम्पति क्रय की हो तो मेरे को जानकारी नही हैं। यह सही हैं कि मैने एडीएम सा. भीलवाड़ा के यहां निगरानी की जो एडीएम द्वारा पंचायत समिति माण्डलगढ को रिमाण्ड कर दी जो वर्तमान में प0स0 माण्डलगढ में लम्बित हैं। यह कहना गलत हैं कि मैं रोड़ बाउण्डी के पास रहना चाहता हूं इसलिए अपनी क्रय सुदा जमीन बता दावा लाया हूं मैने कुल जमीन 7 बिस्वां मे 3 बिस्वां जमीन खरीदी शेष 3 बिस्वां जमीन मेरे दक्षिण दिशा में स्थित हैं। मुझे आबादी भूमि 898 के पडोस मालूम नही हैं। 898 मेरे किस जमीन के किस दिशा में हैं मुझे जानकारी नही हैं।

शहादत वादी में पीडब्ल्यू 2 कजोडलाल पिता देवीलाल धाकड़ ने बयान में लिखाया कि में मांगीलाल की जमीन को जानता हूं । विवाद की नपती हुयी मै मोजूद था यह जमीन नला का माताजी के रोड़ के दक्षिण दिशा में रोड के सहारे स्थित हैं। रोड व इनकी जमीन के बीच किसी का कब्जा काश्त नहीं हैं। इनकी आराजी मे से पहले 1 बिस्वां भूमि रोड बाउण्डी में चली गयी थी।

जिरह में लिखाया कि मैरी जमीन का पडोसी में ही हूं उतर मे सडक हैं वादग्रस्त जायदाद के दक्षिण में खातेदार की जमीन जिससे खरीदी हैं। पश्चिम में आम रास्ता पूर्व में खातेदार की जमीन क्रय की गयी। जिसकी जमीन हैं यह वादग्रस्त जमीन कितना रकबा था मुझे पता नही हैं। नला का माताजी रोड 40 साल पहले निकला, मेरी जानकारी नही हैं कि दक्षिण में आबादी की होकर पटटे दिये हुए हैं । यह कहना गलत हैं कि नला का माताजी रोड से अन्दर की तरफ 70–75 फीट अन्दर हैं। यह कहना गलत हैं कि वादग्रस्त जमीन के पूर्व दिशा में किसी पुष्करलाल की जमीन हो। नोला जी की जमीन भी इस जमीन के उतरी पश्चिमी कोने से लगी हुयी हो। यह सही हैं कि वादग्रस्त जायदाद के पश्चिमी दिशा में दुकाने बनी हुयी हैं। मैने पोखर पिता भडला माली का नाम नही सुना हैं। यह मेरी जानकारी में नही हैं कि पोखर माली ने सड़क के पास भूमि को बेच दी हों। पोखर माली की जमीन हो तो मैं नही जानता। यह कहना गलत हैं कि मांगीलाल जी की मौके पर न हों। आबादी वाली भूमि पर बैठ गये हों।

वादीगण द्वारा अन्य किसी प्रकार की साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से साक्ष्यवादी बन्द की गयी।

शहादत प्रतिवादी में डीडब्ल्यू 1 शम्भुलाल पिता बालूराम सेन निवासी कल्याणपुरा ने बयान में लिखाया कि मेरा खरीद सुदा भूखण्ड ग्राम नयागांव ग्रा0प0 थड़ोदा में स्थित हैं। जिसके पडोस उत्तर में रोड मालीपुरा से डाबी, पश्चिम में मुकेश धाकड की दुकाने, दक्षिण में मांगीलाल, गोरीलाल की कृषि भूमि पूर्व में आबादी पड़त हैं। मैने भूखण्ड के चारो तरफ चार दिवारी सिमेण्ट की करवा रखी हैं। मैने वर्ष 2009 में चान्दमल पिता गोदू माली उनकी बहन मां से क्रय किया तब से कब्जा मेरा ही हैं। मेरी दिवार से वादी आगे आना चाहता हैं। मैने वादी की दिवार को तोड़कर अतिक्रमण का प्रयास नही किया। मेरा प्लॉट मांगीलाल व रोड़ की जमीन के बीच का हैं। मैंने निर्माण करवाया तब पंचायत से एनओसी व नजरी नक्शा लिया व रजिस्ट्री तहसील से करवायी।

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ जि. भीलवाड़ा

जिरह में लिखाया कि मैने भूखण्ड आबादी वाला खरीदा मैने पड़ोस दिखाये वे इसी भूखण्ड के हैं। मैनें भूखण्ड की नपती करा पंचायत वालों से लिया। नपती का पंचनामा पंचायत वालों ने बनाया।

लगातार पेज संख्या 05 पर

Scanned by CamScanner

नपती की तारीख याद नही हैं। मैने नपती का पंचनामा पत्रावली में पेश करना बताया वह नजरी नक्शा हैं। फिर कहा है जो यही हैं। पटटा 1972 का हैं जिसमें पडोस लिखे या नही मुझे पता नही हैं। मुझे निगरानी में पाटी बनाया जिसके समन आये थें। पटटे में लम्बाई चौडाई कितनी लिखी मुझे पता नही हैं। यह बात सही हैं कि मेने जो रजिस्ट्री पेश की वो वाण्ज्यि प्रयोजनार्थ थी। गोदू पिता नाथू माली का भी यह भूखण्ड हैं। मैने पटटा पेश किया वह बापी पटटा है या नही में पूरा पढा लिखा होने से जानकारी नही हैं। जहां पंचायत वालों ने बैठाया मैं वही बैठा हूं।

शहादत प्रतिवादी में डीडब्ल्यू 2 सीताराम सैन ने अपने बयान में लिखाया कि मै पक्षकार मुकदमा को जानता हूं मै शम्भुलाल सेन के प्लाट को जानता हूं जो मालीपुरा में स्थित हैं। इसके उतर में सडक डामरीकरण, दक्षिण में मांगीलाल के खातेदारी जमीन हैं। शम्भुलाल का कब्जा 2009 से देख रहा हूं। जोटे डालकर बाउण्डी बना रखी हैं।

जिरह में लिखाया कि हमारे समाज के व्यक्ति हैं साथ के हैं प्लाट के वाउण्डीवाल मैने करवाया साथ में हमने काम किया हैं। मै कारीगर नही हूं वाउण्डीवाल का ठेका मैने लिया हैं। ठेका 1 ही लिया हैं बाउण्डीवाल की आगे की चौड़ायी 75 फीट होगी फिर कहा मुझे याद नही हैं 2009 का मामला हैं। मैने ठेके की लिखा पढी नही करवायी। शम्भुलाल ने भूखण्ड की नपती करवायी या नही मुझे पता नहीं। मुझे तो दिखाया था वहां बाउण्डी की थी। बाउण्डी आज भी मैने देखी जो थी। मैने की मोजूद हैं। रोड़ की तरफ की बाउण्डी मैने नही की, पीछे वाली व मुकेश के तरफ कि की थी।

अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही करने से शहादत प्रतिवादी बन्द की गयी।

वकील प्रतिवादी ने लिखित बहस प्रस्तुत कि साथ ही वादी कि मौखिक बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता वादी ने बहस के दौरान वादपत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में विस्तार से जिक्र किय तथा निवेदन किया कि ग्राम नयागांव स्थित आ0न0 897/1 रकबा 2 बिस्वां भूमि विक्रय से मोहनलाल प्रजापत के नाम पर दर्ज है। विरासत से उनके पुत्रों के नाम अंकित की गई। विक्रय पत्र से वादी के नाम दर्ज की गई।

<u>तनकी नं0 1</u> आया वादी वादग्रस्त आराजी नम्बर 879/1 व 897/3 कुल किता 2 रकबा 3 बिस्वां भूमि वादी की खातेदारी भूमि होकर प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध, वास्ता नही होने से उनके विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं ?

इस तनकी के द्वारा वादी के खातेदारी की आराजी नं0 897/1 व 897/3 किता 2 रकबा 3 बिस्वां के स्वामित्व का निर्धारण किया जाना हैं। इस हेतु वादी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी प्रदर्श 2, 3, 4, 5 के अवलोकन से यह प्रकट हो रहा हैं कि सम्वत् 2032 में उक्त आराजी पोखर पिता भज्जा माली के नाम दर्ज रेकॉर्ड थी जो प्रदर्श–5 के अंकन से सिद्ध होकर इसी जमाबन्दी में 1 बिस्वां भूमि PWD के नाम पर दर्ज करने की स्वीकृति का अंकन यह दर्शाता है कि शेष 6 बिस्वां भूमि खातेदार पोखर के नाम रही जो जमाबन्दी प्रदर्श–2ी स्वीकृति का अंकन यह दर्शाता है कि शेष 6 बिस्वां भूमि खातेदार पोखर के नाम रही जो जमाबन्दी प्रदर्श–2, 3, 4 की जमाबन्दी के अंकन से यह प्रकट हो रहा हैं कि आराजी नं0897/1 व 897/3 कुल रकबा 3 बिस्वां वादी मांगीलाल के नाम वर्तमान के राजस्व रेकॉर्ड में चली आ रही हैं। चुंकि इसी आराजी में से PWD के नाम 1 बिस्वां भूमि दर्ज हुई है जो इस तथ्य को सिद्ध करती है कि PWD के नाम दर्ज गयी आराजी से लगी हुई वादी की आराजी नम्बर 897/1 व 897/3 रकबा 3 बिस्वां भूमि वादी के खातेदारी की हैं। दौराने बहस न्यायालय के समक्ष प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व नक्शा पेश किया गया जो यदपि प्रदर्श नही है किन्तु सत्यप्रतिलिपी होने से उसका अवलोकन किया जा रहा हैं। जिसमें अंकित आराजी नं0 897/1 के उतर दिशा में 897/3 व 897/1 हैं जो जिसके पश्चात् उतर में 897/2 जो PWD के नाम दर्ज हुई हैं अंकित हैं। उक्त राजस्व रेकॉर्ड के अवलोकन से प्रतिवादीगण के स्वामित्व की कोई जायदाद चाहे वह राजस्व या आबादी की भूमि रही हो प्रकट नहीं हो रहा हैं। इससे यह सिद्ध हो रहा हैं कि वादी की वादग्रस्त 3 बिस्वां भूमि से प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध नही हैं। वादी के बयान के अथवा गवाह पीडब्ल्यू–2 कजोड़लाल ने भी यह साक्ष्य प्रस्तुत की है कि वादी की 3 बिस्वां भूमि की नपती हुई थी जो सड़क के सहारे स्थित हैं तथा सड़क व वादी की जमीन के बीच में किसी का कब्जा व जायदाद नही रही हैं। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपने बचाव के समर्थन में आबादी भूमि का पट्टा प्रदर्श–डी–4 व ग्राम पंचायत थड़ोदा द्वारा दिनांक 6.7.2019 को बनाये गये नक्शे प्रदर्श–डी–6 पेश किया है। जिसके आधार पर दर्शाने का प्रयास किया गया है कि सड़क के सहारे ग्राम पंचायत द्वारा आबादी क्षैत्र का पट्टा संख्या 51 दिनांक 04.04.1973 गोदु पिता नाथू माली को जारी किया गया था जिसे प्रदर्श–डी–5 के जरिये प्रतिवादी नं0 5 ने खरीद कर कब्जा प्राप्त किया। चूकि उक्त आबादी क्षैत्र के जारी

लगातार पेज संख्या 06 पर

उपखण्ड अधिकारी
लिजौलियाँ जि.-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

पट्टा सुदा संख्या 51 की निगरानी न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा में प्रस्तुत की गयी हैं। जिसका निर्णरू प्रदर्श–1 वादी द्वारा पेश किया गया है। इस निर्णय के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा ने बापी पट्टा सं0 51 दिनांक 04.04.1973 और उसके आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा तैयार किया गया नक्शा दिनांक 06.07.2009 को अपास्त कर दिया गया हैं। इस कारण तनकी नं0 1 के निर्णय में वादी के विरूद्ध प्रतिवादीगण का जो मुख्य आधार था वह सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका हैं। ऐसी स्थिति में वादी को वाद की वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व वास्ता शेष नहीं रहता हैं। इस आधार पर वादी प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी होकर तनकी नं0 1 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है कि वादग्रस्त आ0नं0 897/1 व 897/3 कुल किता 2 रकबा 3 बिस्वां भूमि वादी के खातेदारी भूमि हैं जिसमें प्रतिवादीगण का कोई सम्बन्ध व वास्ता नहीं हैं।

तनकी नं0 2 आया प्रतिवादीगण को आ0नं0 898 में 1973 में पट्टा जारी किया गया हैं जिसको प्रतिवादी नम्बर 5 ने क्रय य किया है, जिसका वाद पर क्या असर होगा ?

तनकी नं0 2 को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर है जिसके समर्थन में प्रतिवादीगण ने दस्तावेज प्रदर्श– डी1, डी2, डी3, डी4 व प्रदर्श डी6 पेश कर ग्राम पंचायत थडोदा द्वारा जारी पट्टा विलेख व नजरी नक्शा प्रस्तुत किया हैं और दस्तावेज प्रदर्श–डी–5 विक्रय पत्र प्रतिवादी सं0 1 लगायत 4 द्वारा प्रतिवादी स. 5 के पक्ष में निष्पादित पेश हुआ। उक्त सभी दस्तावेज आबादी भूमि के सम्बन्ध में जारी किये गयी स्वामित्व विलेख बाबत् हैं। वादी की आराजी नम्बर 897/1 व 897/3 जो राजस्व की भूमि है से सम्बन्धित नही है इस कारण वाद पर इन दस्तावेजात का प्रथम दृष्टया कोई असर प्रतीत नही हो रहा हैं। तनकी नम्बर 1 के विनिश्चय में उक्त दस्तावेजात के विरूद्ध पेश की गयी निगरानी के निर्णय प्रदर्श–1 का विवेचन किया जा चुका हैं। इस न्यायिक निर्णय दिनांक 30.04.2010 प्रदर्श–1 के द्वारा उक्त वादी पट्टा प्रदर्श–डी–4 और नजरी नक्शा प्रदर्श–डी–6 को अपास्त किया जा चुका हैं। जिसके विरूद्ध कोई अग्रिम कार्यवाही उक्त निर्णय को चुनौती दिये जाने बाबत् नही होकर यह निर्णय वर्तमान में अन्तिम निर्णय हैं जिसके द्वारा प्रतिवादी को प्रदर्श–डी–5 से प्राप्त अधिकार भी समाप्त हो गये हैं। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी नं0 5 के द्वारा क्रय किये गये खारिज पट्टे का वादी के वादपत्र कोई असर न होकर यह तनकी नं0 2 प्रतिवादीगण के विरूद्ध निर्णित की जाती हैं।

उक्त दोनो तकनीयात का निर्णय वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण के निर्णित किया गया हैं इस कारण वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिवादीगण के विरूद्ध प्राप्त करने का अधिकारी हैं।

अतः वादी का वादपत्र विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर इस आशय की **स्थाई निषेधाज्ञा** बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण जारी की जाती हैं कि मौजा नयागांव तहसील बिजौलियां में स्थित 897/1 व 897/3 किता 2 रकबा 3 बिस्वां भूमि में वादी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें, प्रतिवादीगण किसी प्रकार से जबरन कब्जा नहीं करे, किसी प्रकार का निर्माण कार्य नही करें तथा वादी को बेदखल नहीं करें। डिक्री मूर्तिब हों।

आदेश आज दिनांक 27/06/2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
उपखण्ड अधिकारी
बिजौलिया

उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियां जि. भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner